10 खला ओद्योगिक विकास

मुख्य प्रशासनिक भयन, सैक्टर-६, नौएडा जिला गौतम् बुद्ध नृगर-201301

पत्राकः नीएडा / लेखा / ले०अ०(ग्रु०हा०) / 2017 / 9.2 / दिनांकः ..... व जी जी जी

M/s Nexgen Infracon Pvt. Ltd. Regd. Office: B-66, First Floor,

Vivek Vihar, Delhi- 110095

विषय:- भूखण्ड सं0:- जी एच 01 ए, सैक्टर:-78, नौएडा के 64.7 प्रतिशत प्रतिकर के नुगतान के सम्बन्ध में।

नहोदय

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.11 के अनुपालन में किसानो को 64.7 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान किया गया था। उपरोक्त भूखण्ड के क्षेत्रफल एंव दर के सापेक्ष में रू० 2,88,01,431.45 की देयता होती हैं। जिसे एक माह में जमा करा कर चालान की छायाप्रति अद्योहस्तासरी कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें।

र्लेखाधिकारी (ग्रु०हा)

ा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय (एस) को सादर सूचनार्थ। 2 वित्त निवन्त्रक महोदय को सादर सूचनार्थ।

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर-201301 पत्रीकः नौएडा/लेखा/ले०अ०(ग्रु०हा०)/2019/556 दिनांकः

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आरं टी० आई० आवेदन संख्याः 24921 के द्वारा भूखण्ड संख्याः जी एच 01ए, सैक्टर 78, नौएडा के विरुद्ध मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में। महोदय

उपरोक्त आर0 टी0 आई0 से सम्बन्धित मांगी सूचना निम्न प्रकार हैं-

बिन्दु संख्या (1) के क्रम में

अवगत कराना हैं कि आबंटी मैसर्स Nexgen Infracon Pvt. Ltd. भूखण्ड संख्या जी एच/०१ए, सैक्टर 78, नौएडा के विरूद्ध पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक <u>30.06.2019</u> तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के मद में रू0 3.82 करोड़ की देयता बनती हैं।

बिन्दु संख्या (2) के क्रम में

अवगत कराना हैं कि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर पर 14 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ब्याज की गणना की जाती हैं।

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी जन सूचना अधिकारी को सूचनार्थ।

लेखाधिकारी (ग्र०हा०)

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-६, नौएडा।

सेवा में,

पत्र सं0 नौएडा/ग्रु०हा०/2019/ 123 | दिनांक 3) | 0 | 19

विषयः- आर0टी0आई0 आवेदन सं0.25053 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आर०आई०आई० के सम्बन्ध में ग्रुप हाउसिंग विभाग से सम्बन्धत आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

Smt. Meenakshi Jhamb

आर0टी0आई0 सं0. 25053

#### उत्तर

Section 1 Regarding Farmer's Compensation:-

- 1) के सम्बन्ध में सूचित करना है कि बिल्डर पर दिनांक 31.08.2019 तक 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर की मद में रूपये 3.37 करोड़ की देयता है।
- 2) लेखा विभाग से सम्बन्धित है।
- 3) प्राधिकरण द्वारा आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के आवंटियों से 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर की मांग की गई है। तो ऐसी स्थिति में बिल्डर को उनके फ्लैट क्रेताओं से 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर वसूल कर सकता है।
- 4) के अर्न्तगत मांगी गई सूचना बिल्डर एवं बायर के मध्य हुए अनुबन्ध से सम्बन्धित है।

Section 2 Regarding Lease Rent:-

बिन्दु सं0.1 से 5 तक लेखा विभाग से सम्बन्धित है।

भवदीय,

(अशोक कुमार चर्मा) विभागीय जन सूचना अधिकारी ग्रुप हाऊसिंग विभाग, नौएडा।

प्रतिलिपि :-

- प्रभारी अतिरिक्त जन सूचना अधिकारी (आर0टी0आई0 एवं द्वित्तीय अपील), नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. विभागीय जन सूचना अधिकारी/लेखाधिकारीं ( ग्रुप हाउसिंग) नौएडा को इस आश्य से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना सीधे आयेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विभागीय जन सूचना अधिकारी

### 2. Period to which the information relates: N/A

### 3. Details of Information

Dear Sir/Madam,

With reference to Plot No GH-01/A, Sector-78, Noida, UP. allotted to M/s Nexgen Infracon Pvt Ltd for a Group Housing Project Mahagun Mezzaria, the following Information may kindly be provided:

Section 1 Regarding Farmers' Compensation:-

With reference to your letter no. नौएडा/लेखा/ले.अ.(ग्रु.हा.)/2019/556 dated 9th Aug 2019 in reply to my RTI no. 24921, I would like to know:-

- 1) What was the initial / Principal amount of farmers' compensation and date on 2.8801431-45 which demand was raised.
- 2) What is the date from which 14% interest is applicable.

1/JUNE - 2017

- 3) Who is required to pay this amount, builder or the buyer?
- 4) If buyer is required to pay this amount then: Is the buyer also required to pay the interest for the delay, even in absence of demand raised by the builder to the buyer at the time this amount became payable?

Section 2 Regarding Lease Rent:-

- 1. What is the annual lease rent payable against Plot No GH-01/A, Sector-78, Noida, UP. allotted to M/s Nexgen Infracon Pvt Ltd.
- 2. For how many years Lease Rent is payable against Plot No. GH-01/A, Sector -78,
- 2. Has the lease rent been paid by Allottee as per Terms of Lease Deed against Plot No . GH-01/A, Sector-78 , Noida. Please provide date-vise details of payment
- 3. If not paid timely what is the due amount and how much interest has been charged or is due, kindly provide the same in Tabular Form, showing clearly the Lease Rent and Interest charged there on .
- 4. Has the lease period i.e., number of years has been extended in case of plot GH-01/A, Sector 78, Noida from 11 to 15 years.
- 5. If extended: what is the current annual lease Rent and what is the due amount